संख्या–4047/9–आ–3–2002–72विविध/94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी,

समस्त विनियमित क्षेत्र,

उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–23 अक्टूबर,2002

विषय : विनियमित क्षेत्रों की महायोजनाओं के अन्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2898/9–आ–3–72–वि/94 दिनांक 30.6.2001 तथा इसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या–379/9–आ–3–72वि/94 दिनांक 25.1.2002 (प्रतिलिपियाँ सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इसे नियन्त्रक प्राधिकारी सभा में आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत करने के उपरान्त एक माह के अन्दर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन विनियमित क्षेत्रों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत कर लिया है, द्वारा भी संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स को पुनः अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। यदि नियन्त्रक प्राधिकारी सभा की बैठक के आयोजन में विलम्ब हो, तो इसे परिचालन द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 4042(1)9—आ—3—02—72वि0 / 94 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।